

# कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

(वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर-492002)

—:: आदेश ::—


नवा रायपुर दिनांक // जून, 2026

कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/आब./रा.उ.द./2026/377 दिनांक 11.06.2026 के प्रतिवेदन अनुसार विदेशी मदिरा दुकान फाफाडीह जिला रायपुर (छ.ग.) में आकस्मिक निरीक्षण दौरान छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता अश्वन कुमार मेरिया s/o श्री वेदूराम मेरिया द्वारा 02 नग पाव ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के पाव को शासन द्वारा निर्धारित दर 240 रुपये प्रति नग की दर से 480/- रुपये के स्थान पर 500/- रुपये में अर्थात् 20/-रुपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता श्री अश्वन कुमार मेरिया s/o श्री वेदूराम मेरिया के विरुद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी-8 क्रमांक 74/2026 दिनांक 10/06/2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

2/ उक्त प्रकरण श्री कौशल किशोर सोनी, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त पण्डरी के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है।

3/ अतः श्री कौशल किशोर सोनी, आबकारी उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।


4/ निलंबन काल में श्री कौशल किशोर सोनी, आबकारी उप निरीक्षक का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

  
आबकारी आयुक्त  
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / आब. / अपराध / 2026 / 4687  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर दिनांक 11 जून, 2026

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला-कोषालय, जिला जिला- रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री कौशल किशोर सोनी, आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।

  
आबकारी आयुक्त  
छत्तीसगढ़